

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 08/07/2022

क्रमांक एफ 13-178/2019/38-2,


प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश
2. समस्त कुलसचिव,
शासकीय विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश
3. समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:- विधानसभा सत्र दिनांक 25 से 29 जुलाई, 2022 तक मुख्यालय न छोड़ने के संबंध में।

-0-

विषयांतर्गत लेख है कि आगामी विधानसभा सत्र दिनांक 25 से 29 जुलाई, 2022 तक आहूत किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेषित करने के लिए समस्त जानकारी के साथ उक्त अवधि में मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें एवं उक्त अवधि में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें।
(अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित)


(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 13-178/2019/38-2

भोपाल, दिनांक 08/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आई.टी.प्रभारी कृपया वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।


अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग